"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2011—श्रावण 19, शक 1933

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता फोरमों में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम व पता	जिला उपभोक्ता फोरम
(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती अंजू गबेल, कबीर सेवा निकेतन के सामने, वार्ड-18, सिंघनसरा रोड, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	कोरबा
2.	श्रीमति शशि राठौर, लायन्स चौक, चांपा (छ.ग.)	जांजगीर-चांपा
3.	श्रीमति चेतना सिंह, अंबेडकर चौक, सिविल लाईन, कवर्धा (छ.ग.)	कबीरधाम
4.	श्रीमति पी. दुर्गा ज्योति साव, वार्ड नं. 7, छिपिया पारा, रेल्वे कॉलोनी, महासमुंद (छ.ग.)	महासमुन्द
5.	श्रीमति शीला सोनी, आर.ई.एस. कॉलोनी, क्वा. नं. 42, कोड़ेजुंगा, जिला कांकेर (छ.ग.)	कांकेर

(1)	(2)	(3)
6.	श्रीमती मीना साहू, शिवमंदिर गली, पथरागुड़ा, भगत सिंह वार्ड क्रमांक 6, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)	जगदलपुर
7.	श्री प्रहलाद कुमार सोनी, रिजवी नर्सिंग होम के सामने, वृंदावन कॉलोनी, संतोषी वार्ड, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)	जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 5-6/खाद्य/2010/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th August 2011

NOTIFICATION

No. F 5-6/Food/2010/29.—In exercise of powers conferred by the sub-section (1-B) of section 10 of Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) State Government thereby appoint following candidates as Member District Consumer Disputes Redressal Forum, mentioned against each name as per recommendation of section committee for 5 years or 65 years of age whichever is earlier from the date of their joining.

S. No. (1)	Name & Address (2)	Distt. Consumer Forum (3)
1.	Smt. Anju Gabel, In Front of Kabir Seva Niketan, Ward 18, Singhansara Road, Sakti, Distt. Janjgir-Champa (C.G.)	Korba
2.	Smt. Shashi Rathor, Lions Chowk, Champa (C.G.)	Janjgir-Champa
3.	Smt. Chetna Singh, Ambedkar Chowk, Civil Line, Kawardha (C.G.)	Kabirdham
4.	Smt. P. Durga Jyoti Sao, Ward No. 7, Chipiya para, Railway Coloney, Mahasamund (C.G.)	Mahasamund
5.	Smt. Sheela Soni, R.E.S. Colony, Qua. No. 42, Kodejunga, Distt. Kanker (C.G.)	Kanker
6.	Smt. Meena Sahu, Shiv Mandir Gali, Pathraguda, Bhagat Singh Ward No. 6, Jagdalpur, Baster (C.G.)	Jagdalpur
7.	Shri Prahlad Kumar Soni, In Front of Rizwi Nursing Home, Vrindavan Coloney, Santoshi Ward, Jagdalpur, Baster (C.G.)	Jagdalpur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONI BORAH, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.